अनुदान संख्या 15 – उपभोक्ता मामले विभाग
GRANT No. 15 - DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1755,93,00			
			1755,95,00	1739,16,61	-16,78,39
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				15,47,68
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	48,59,00			
			48,60,00	48,45,75	-14,25
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				65,34

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	16420.00			
			0.04	..	-0.04
पु.	R.	–16419.96			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3456"	Major Head "3456"				
नागरिक पूर्ति	Civil Supplies				
मू.	O.	149096.00			
पू.	S.	2.00	164817.45	164675.93	-141.52
पु.	R.	15719.45			

(I) ₹16421.00 लाख का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹15700.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – "नागरिक पूर्ति– निदेशन और प्रशासन" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹16421.00 lakhs remained wholly unutilized under nine heads; of these ₹15700.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Civil Supplies - Direction and Administration" - under the following heads:-

(का) "उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ" – ₹700.00 लाख; और

(A) "Consumer Protection Cell" - ₹700.00 lakhs; and

(खा) "मूल्य स्थिरता निधि" – ₹15000.00 लाख

(B) "Price Stabilization Fund" - ₹15000.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹387.21 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 77 प्रतिशत थी।

(II) Under one head saving of ₹387.21 lakhs occurred constituting 77 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1241.19 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसा कि मुख्य शीर्ष "3456" – "निदेशन और प्रशासन – उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ" के अंतर्गत जुलाई, 2018 और दिसंबर, 2018 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित का दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1240.51 लाख था।

2.(I) The above savings were partly (₹1241.19 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in July, 2018 and December, 2018 under Major Head "3456" – "Direction and Administration – Consumer Protection Cell". Actual excess, however, was ₹1240.51 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3456" – "निदेशन और प्रशासन – मूल्य स्थिरता निधि" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई – ₹15000.00 लाख का अधिक व्यय (₹135000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3456" – "Direction and Administration - Price Stabilization Fund" – excess of ₹15000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹135000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, अभ्यर्पित राशि (₹65.34 लाख) कुल बचतें ₹14.25 लाख से अधिक हो गई।

3. In the capital section of the grant, the amount surrendered (₹65.34 lakhs) exceeded the overall savings of ₹14.25 lakhs.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष / Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "5425"	Major Head "5425"				
अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on other Scientific and Environmental Research				
मू.	O.	1744.00	1004.67	1004.67	..
पु.	R.	-739.33			
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on other General Economic Services				
मू.	O.	2575.00			
पू.	S.	1.00	3789.99	3841.08	+51.09
पु.	R.	1213.99			

(I) ₹540.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "5425" – "अन्य सेवाएं – राष्ट्रीय परीक्षण केन्द्र के लिए प्रयोगशाला भवन निर्माण" – ₹739.33 लाख की बचत (₹1744.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपस्करों की खरीद को मूर्त रूप न दिए जाने और भवन निर्माण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹413.73 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 83 प्रतिशत थी।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1833.26 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "5475" – "नागरिक पूर्ति – समय का प्रसार" के अंतर्गत फरवरी, 2019 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1877.42 लाख था।

5. उपभोक्ता कल्याण निधिः–

उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) में संशोधन करके 1991 में की गई थी ताकि उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए निधियों का उपयोग बने हुए नियमों के अनुसार किया जा सके। वह धनराशि जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत विनिर्माताओं को लौटाए जाने योग्य नहीं होती उसे इस निधि में जमा कर दिया जाता है।

उपभोक्ता कल्याण निधि नियम 25 नवंबर, 1992 को अधिसूचित किए गए थे। तत्पश्चात्, नियमों को अधिक व्यापक बनाने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सिफारिश पर इनमें 27 जनवरी, 1994 को और संशोधन किए गए। तत्पश्चात् इन नियमों में 16.06.94, 16.01.95 और 13.06.2002 को संशोधन किए गए। इस निधि की स्थापना राजस्व विभाग द्वारा की गई तथा उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने और संरक्षण प्रदान करने के लिए देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में,

(I) Provision of ₹540.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads.

(II) Under Major Head "5425" – "Other Services - Construction of Laboratory Building for National Test House" – saving of ₹739.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1744.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposal towards procurement of machinery and equipments and requirement of less funds by Central Public Works Department for construction of building.

(III) Under one head saving of ₹413.73 lakhs occurred constituting 83 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly (₹1833.26 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in February, 2019 under Major Head "5475" - "Civil Supplies - Dissemination of Time". Actual excess, however, was ₹1877.42 lakhs.

5. Consumer Welfare Fund:-

Consumer Welfare Fund was constituted in 1991 by amending Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944) for utilising the funds for welfare of the consumers in accordance with the rules framed. Money which is not refundable to the manufacturers under the Central Excise Act is credited to the fund.

Consumer Welfare Fund rules were notified on 25th November, 1992. Subsequently on the recommendations of the Central Consumer Protection Council, the rules were further amended on 27th January, 1994 to make it more broad based. Subsequent modifications to the rules took place on 16.06.94, 16.01.95 and 13.06.2002. Fund has been set up by Department of Revenue but is operated by

स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा परिचालित किया जाता है।

Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution for providing financial assistance to promote and protect the welfare of consumers and strengthen the voluntary consumer movement in the country particularly in the rural areas.

वर्ष 2018–2019 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:–

The Account of the Fund for 2018-19 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	:	24,90,26
प्राप्तियां	Receipts	:	492,70,94
अदायगियां	Payments	:	17,81,63
अंत शेष	Closing Balance	:	499,79,57